<u>स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।</u>

<u>प्रेस नोट संख्याः–354, दिनांक 04–11–2021</u>

दिनांक 05.10.2021 को रियलमी कम्पनी के 8990 मोबाईल फोन लूट की घटना का सफल अनावरण एवं 1525 मोबाईल फोन (मूल्य लगभग पौने दो करोड रूपये) सहित 03 मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05–10–2021 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को रियलमी कम्पनी के 8990 मोबाईल फोन से भरी नोएडा से बैंगलोर जा रही कैण्टर गाड़ी को मोबाईल फोन सहित लूट लिए जाने की घटना का जनपद मथुरा पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही से सफल अनावरण करते हुए 1525 मोबाईल फोन सहित 03 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–</u>

1– शाहिद उर्फ सरपंच पुत्र मुबीन निवासी रैपुआ, थाना पिनगवा, जनपद नूह (मेवात), हरियाणा।
2– राहुल पुत्र तैययब अली निवासी विशम्भरा, थाना शेरगढ, जनपद मथुरा।
3– अजरूददीन पुत्र नसरूददीन निवासी शिकरावा, थाना पिनगवा, जनपद नूह (मेवात), हरियाणा।

<u>बरामदगी का विवरणः–</u>

01– **1525 मोबाईल फोन रियलमी कम्पनी (मूल्य लगभग पौने दो करोड रूपये)**
02– 01 सफेद रंग की आई–20 कार नं0–एचआर–26डीआर/7651

<u>घटना स्थल समय/स्थानः–</u>

दिनांक 04.11.2021 समय 12.00 बजे दोपहर, आगरा–ग्वालियर बाईपास रोड रैपुरा जाट अण्डर पास पुल के पास थाना क्षेत्र फरह जनपद मथुरा।

दिनांक 05.10.2021 को रियलमी कम्पनी के 8990 मोबाईल फोन से भरी नोएडा से बैंगलोर जा रही कैण्टर गाडी को मोबाईल फोन सहित लूट लिए जाने की घटना के सम्बन्ध में थाना फरह, जनपद मथुरा पर मु0अ0सं0:468/2021 धारा 394,328 भादवि के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी व लूटे गये मोबाईल फोन की बरामदगी हेतु एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक एवं श्री विनोद सिंह सिरोही व श्री देवेन्द्र कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ नोएडा के नेतृत्व में निरीक्षक श्री सौरभ विक्रम सिंह, एसटीएफ, फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर द्वारा टीम गठित कर अभिसूचनाइ संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

उल्लेखनीय है कि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित धारीवाल पुत्र सतवीर निवासी फतेहपुर, थाना बिलासपुर, गुडगांव, हरियाणा, राकेश पुत्र गंगाराम निवासी ख्वासपुर थाना फर्रूखनगर, गुडगांव हरियाणा, गौरव बंसल पुत्र वीरेन्द्र बंसल निवासी तावडू जिला मेवात हरियाणा व केवल पुत्र धीरज निवासी मैनवाल थाना मानेसर जिला गुडगांव, हरियाणा को एसटीएफ की नोएडा इकाई व थाना फरह, मथुरा के सहयोग से 47 मोबाईल

फोन सहित गिरफतार कर दिनांक 27.10.2021 को जेल भेजा गया था। इन अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये तथ्यो को विकसित करते हुए अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी कि आज दिनांक 04.11.2021 को मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि नोएडा से बैंगलोर जा रही मोबाईल फोन से भरी कैण्टर गाडी को मोबाईल फोन सहित लूट लिए जाने की घटना के अभियुक्त जनपद मथुरा में आगरा–ग्वालियर बाईपास रोड से आगरा की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर उ0प्र0 एसटीएफ की नोएडा टीम द्वारा थाना फरह जनपद मथुरा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर घेराबन्दी करके उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल उपरोक्त ने बताया उसके गांव विशम्भरा के साउन, शेरखान व शेरखान का भतीजा जुबैर गाडियों को सामान सहित लूट की घटनाओं को अन्जाम देते रहे है और कई घटनाऐं उसने (राहुल), जुबैर, साउन व शेरखान के साथ मिलकर भी की है । बताया कि अभी वह 03–04 महीने पहले ही जेल से बाहर आया है। जेल से छूटने के बाद उसने, जुबैर व मुजाहिद, अजरूददीन, शाहिद उर्फ सरपंच व शाहरूख ने साथ मिलकर उक्त मोबाईल फोन लूट की घटना को अन्जाम देने की योजना बनाई थी। पूछताछ में यह भी बताया कि वर्ष 2019 में उसने विशम्भरा निवासी साउन, शेरखान, जुबैर, वसीम व मुनफैद निवासी राजस्थान के साथ मिलकर हैदराबाद से आगरा आ रही एक टायरों से भरी गाडी को आगरा में लूट लिया था जिसको मेरठ में बेचा था। वर्ष 2019 में इन सभी ने मिलकर पूना से पानीपत जा रही टायरों से ही भरी गाडी को ग्वालियर के घाटी गांव के पास से लूटा था तथा वर्ष 2019 में ही इन लोगों ने पानीपत से पूना जा रही चॉकलेट से भरी गाडी को शिरडी, महाराष्ट्र में लूटा था। उपरोक्त घटनाओं के सम्बन्ध में और अधिक जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों ने संयुक्त पूछताछ में बताया कि दिनांक 05.10.2021 को रियलमी कम्पनी के फोन लेकर नोएडा से बैंगलोर जा रही कैण्टर गाडी को लूटने की योजना जुबैर ने राहुल व शाहरूख के साथ मिलकर बनाई जिसमें उन्होंने अपने साथ मुजाहिद, शाहिद सरपंज व अजरूददीन को भी शामिल कर लिया था तथा योजनाबद्ध तरीके से शाहरूख व राहुल को थाना फरह जनपद मथुरा क्षेत्र से सवारी के रूप में उक्त कैण्टर गाडी में बैठा दिया था और अजरूददीन, मुजाहिद, जुबैर व शाहिद एक स्कार्पियो गाडी से कैण्टर के पीछे–पीछे चलते रहे थे। जब यह कैण्टर गाडी जनपद झॉसी के बबीना टोल से आगे एक होटल के सामने पहुॅची तभी कैण्टर में सवारी के रूप में बैठे राहुल व शाहरूख ने चालक को नशीला पदार्थ पिलाकर तथा शॉल से ढककर व सिर में चोट मारकर गाडी के केबिन में लिटा लिया और गाडी को राहुल चलाने लगा। इसके बाद गाडी को लेकर नागपुर तक गये और उसके बाद वापस उसी रास्ते से धौलपुर तक गाडी को लेकर आये तथा धौलपुर से जयपुर लेकर गये। जयपुर में शाहिद के साले के घर गांव कानौता में मोबाईल फोन उतारकर एक कमरे रख दिये और वहॉ से शाहरूख खाली गाडी को मय चालक के लेकर गया और मध्य प्रदेश में जाकर एक स्थान पर चालक को छोड दिया तथा उससे लगभग 200 कि0मी0 दूर जाकर एक स्थान पर गाडी को भी छोड कर वहॉ से फरार हो गया। इसके दो दिन बाद वह सभी लोग जयपुर से दूसरी गाडी में मोबाईल फोन भरकर मुजाहिद के घर नसीरपुर पिनगुआ जिला मेवात, हरियाणा में आ गये और मोबाईल फोन आपस में बांटकर जगह–जगह सप्लाई करने लगे।

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल उपरोक्त के विरूद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत होना ज्ञात हुआ हैः–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	468 / 21	394,328,411,413 भादवि	फरह	मथुरा
2.	383 / 19	328,379 भादवि	अछनैरा	आगरा

गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को थाना फरह जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0स0 468 / 2021 धारा 394,328,411,413 भादवि में दाखिल किया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना फरह जनपद मथुरा पुलिस द्वारा की जा रही है।